Case No. - 14/2024 अब्दुल सत्तार / दीन मोहम्मद

08.10.24 पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत और प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मे वर्णित तथ्यो का अध्ययन करने पर पाया कि उन्होने उक्त और प्रार्थना पत्र तत्कालीन पीठासीन अधिकारी से न्याय नही मिलने की उम्मीद मे न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर मे विचाराधीन राजस्व विविध संख्या 89/2018 बनजनवात सिलावट समाज बनाम अब्दुल सतार वगैरह को किसी अन्य समकक्ष न्यायालय मे स्थानान्तरण बाबत पेश किया।

चूंकि वर्तमान मे तत्कालीन पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण किसी अन्य स्थान पर हो गया है। जिससे उक्त प्रार्थना-पत्र infructuous होने से न्यायालय हाजा मे चलाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है।

अतः उक्त प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner